झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — पंचम्(बजट) सत्र

संख्या-16 — गुरूवार, दिनांक-10 मार्च, 2016 ई०।

समय-10.00 बजे पूर्वा० से 04.04 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.ध्यानाकर्षण सूचनायें तथा उस पर सरकार का वक्तव्य:-

i- माननीय सदस्य, श्री पौलुस सुरीन एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री नागेन्द्र महतो एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

(इस अवसर पर माननीय नेता,प्रतिपक्ष ने अखबार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य श्री अमित कुमार पर एफ.आई. दर्ज किये जाने विषयक प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया जिसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया।)

iv- माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

v- माननीय सदस्य, श्री ताला मराण्डी एवं अंन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

vi- माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

vii- माननीय सदस्य, श्री योगेश्वर महतो से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

2.आसन से निदेश:-

आसन द्वारा माननीय सदस्यों को निदेश दिया गया कि वे सदन में आने के पूर्व झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का अध्ययन अवश्य कर लें।

इस दौरान माननीया सदस्या श्रीमती जोबा मांझी ने अपने विधान सभा क्षेत्र में एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लिपिक को पीटे जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया।

3.कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

संथाल परगना में जमीन-मुआवजे से सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री स्टीफेन मराण्डी एवं श्री अमित कुमार से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के नियमानुकूल नहीं होने के कारण

आसन द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया, लेकिन विषय की गंभीरता एवं परम्परा को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी को इसे पढ़ने मात्र की अनुमति दी गयी। इसके उपरांत इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वस्तुस्थिति सदन में रखी गयी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित कतिपय माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं थे। अतएव विरोधस्वरूप झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, काँग्रेस एवं झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये और कुछ माननीय सदस्य धरने पर भी बैठ गये।

अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.18 बजे पूर्वा० से लेकर 11.45 बजे पूर्वा० तक स्थगित कर दी गयीं, इस कारण प्रश्नकाल नहीं लिया जा सका।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, झारखण्ड विकास मोर्चा एवं काँग्रेस के माननीय सदस्य जमीन मुआवजे से सम्बन्धित विषय पर पुनः नारेबाजी करने लगे। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी भावनाओं को सदन में रखा गया तथा मुआवजों के भुगतान हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित किये जाने की घोषणा की गयी।

4.शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी गयीं--

श्री अमित कुमार,
श्री राज किशोर महतो,
श्री दशरथ गागराई,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,

(इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष सहित झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री पौलुस सुरीन को छोड़कर सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री जानकी प्रसाद यादव,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री पौलुस सुरीन (अपनी शून्यकाल की सूचना को पढ़ने के उपरांत माननीय सदस्य, श्री सुरीन भी सदन से बाहर चले गये।),
श्री साधुचरण महतो,
श्री अरुप चटर्जी,
डॉ० ईरफान अंसारी,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री जय प्रकाश वर्मा,
श्री ताला मराण्डी,
श्री केदार हजरा,
श्री प्रकाश राम,
श्री बादल,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं

P.T.O.

श्री शिवशंकर उराँव। माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री कुणाल षडंगी के अनुपस्थित होने के कारण उनके द्वारा शून्यकाल की सूचनायें नहीं पढ़ी जा सकीं।

4. सूचनाओं का दिया जाना:-

i- माननीय सदस्य, श्री अन्नत कुमार ओझा ने दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि साहिबगंज जिले से आतंकी **SIM** खरीदकर दूसरे राज्यों में जाकर इसका उपयोग कर रहे हैं जिसपर रोक लगाये जाने की मांग भी उन्होंने की,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने जमीन मुआवजे से सम्बन्धित माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में गठित होने वाली समिति के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री बादल द्वारा देवघर जिले के रंभा देवी की मृत्यु अस्पताल में होने के पश्चात् प्रबंधन द्वारा तीन लाख रू० मांगे जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए मृतक का शव परिजनों को सौंपे जाने के निमित्त आग्रह किया गया,

iv- माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता ने हुसैनाबाद के दंगवार में बालू माफियों द्वारा जबर्दस्ती बालू उठाये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया गया।

आसन द्वारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री को निदेश दिया गया कि वे सारी सूचनाओं को ग्रहण कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस दौरान माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार के मामले पर डोरण्डा थाना(राँची) में प्राप्त आवेदन को पढ़कर सदन को अवगत कराया।

5.ध्यानाकर्षण सूचनायें तथा उस पर सरकार का वक्तव्य (क्रमांक-01 से जारी):-

i- माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार चौरसिया एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री जीतू चरण राम से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री योगेश्वर महतो से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

iv- माननीय सदस्य, श्री केदार हजरा एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

v- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

vi- माननीय सदस्य, श्री हरिकृष्ण सिंह से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

vii- माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ,

vii- माननीय सदस्य, श्री नागेन्द्र महतो एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ

P.T.O.

(माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव, श्री नलिन सोरेन एवं माननीय सदस्य, श्री ग्लेन जोसेफ ग्लास्टेन के सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें अपृष्ठ हुईं। इनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का उत्तर सरकार से प्राप्त थे।)

6.सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा विधायक निधि अनुश्रवण समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

7. वित्तीय कार्य:-

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा **''पथ निर्माण विभाग,भवन निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग(नागर विमानन प्रभाग)''** से सम्बन्धित माँग पेश की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8.वित्तीय कार्य (क्रमांक-7 से जारी) :-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स०वि०स० द्वारा वाद-विवाद प्रारंभ किया गया जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री अनन्त कुमार ओझा,

श्री रामकुमार पाहन,

श्री योगेश्वर महतो,

श्री हरिकृष्ण सिंह,

(इस अवसर पर झारखण्ड आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाले सम्मान एवं पेंशन के सम्बंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सरकार का पक्ष सदन में रखा।)

श्री राजकुमार यादव,

अन्तराल के पूर्व **''पथ निर्माण विभाग,भवन निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)''** से सम्बन्धित पेश की गयी माँग पर सरकार की ओर से श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा द्वारा उत्तर दिया गया। इसके उपरांत **''पथ निर्माण विभाग,भवन निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग(नागर विमानन प्रभाग)''** से सम्बन्धित माँग सदन द्वारा स्वीकृत हुई। माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सभा की कार्यवाही शुक्रवार, **दिनांक- 11 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक के लिये स्थगित हुई।

राँची, दिनांक- 10, मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा।

—x—x—